सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल

उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग

उ0प्र0 शासन।

क0	अधिनियम के बिन्दु	विवरण
1	2	3
	अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों के विवरण	प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन देने, लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा उनके विरूद्ध प्राप्त कदाचार, अनाचार एव भ्रष्टाचार की शिकायतों में कठोर कार्यवाही करने के उद्देश्य से राज्य में सतर्कता विभाग के अधीन तीन संगठन, यथा उ0प्र0 लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशानाधिकरण तथा उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान कार्यरत है। 1– सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण– शासनादेश दि0 08 जुलाई 1964 द्वारा उ0प्र0 राज्य स्तरीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। सतर्कता आयोग में तीन सदस्य है, जिनमें दो सदस्य यू0पी0 डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंगस(एडमिनिस्ट्रेटव ट्रिब्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य होते है और तीसरा सदस्य सतर्कता निदेशक है। सतर्कता आयोग के पदेन अध्यक्ष, प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रथम के अध्यक्ष है तथा सतर्कता आयोग के सदस्य प्रथम व द्वितीय प्रशानाधिकरणों के पदेन सदस्य है। निदेशक सतर्कता भी पदेन सदस्य है। प्रशानिक न्यायाधिकरण में न्यायिक सेवा के भी दो सदस्य होते है। सतर्कता आयोग का कार्य मुख्यतः शासन को संस्तुतियों प्रस्तुत करना, विभागों/उपकमों से आख्या, विवरण आदि मांगने व उनमें भ्रष्टाचार संबंधी किये गये कार्य पर पर्यवेक्षण के अधिकार भी दिये गये है। 2– सतर्कता अधिष्ठान– लोक सेवकों से संबंधित भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार एवं कदाचार के सभी मामलों में उच्च स्तरीय जॉच हेतु सतर्कता अधिष्ठान की स्थापना उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत की गयी है। सतर्कता अधिष्ठान का सर्वोच्च अधिकारी सतर्कता निदेशक होता है, जिसे विभागगाध्यक्ष की शक्तियाँ प्राप्त है तथा वह सीधे राज्य सरकार के सतर्कता विभाग के नियन्त्रणाधीन कार्य करतर है। उत्तर प्रदेश शासन के सतर्कता विभाग द्वारा आदेशित अनुसंधान, खुली जांच तथा गोपनीय जांच एवं अभिसूचना के मामलों सतर्कता नियम संग्रह (Vigilance Manual) में किये गये विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। 3– लोक आयुक्त संगठन– उ0प्र0 लोक आयुक्त संगठन की स्थापना "उ0प्र0 लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975" के अन्तर्गत वर्ष 1977 में की गयी थी। लोक आयुक्त संगठन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी, निःशुल्क एवं स्वतन्त्र लोक प्राधिकरण है, जो योजनाबद्व रूप से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में निरन्तर अग्रसर है। उ0प्र0 लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मा0 लोक आयुक्त द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर महामहिम राज्यपाल द्वारा उसके संबंध में स्वष्टीकरण, ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाये जाते है।
2	अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	उत्तर प्रदेश शासन के सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचरण आदि की शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच गुण–दोष के आधार पर अपने अधीनस्थ संगठनों से कराये जाने की अधिकारिता प्राप्त है। इन जॉचों को आदेशित करने हेतु शासन स्तर पर विभिन्न निर्णायों के स्तरों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारियों, विभागीय मंत्री तथा मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर जॉच कार्य संबंधित एजेन्सी को सौपा जाता है।
3	निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रकिया, इसके अन्तर्गत	उ0प्र0 शासन के सतर्कता विभाग में जॉच एजेन्सियों से प्राप्त जॉच आख्यायों का सम्यक परीक्षण करके नियमों/अधिनियमों में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में निर्णय लिए जाने हेतु विभिन्न स्तरों का निर्धारण किया गया है। जॉच ऐजसिंयो को सौपी गयी जॉचों का अनुसरण भी शासन द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है।

	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है	
4	कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मानदण्ड	उ0प्र0 शासन, सतर्कता विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पृथक–पृथक दायित्व निर्धारित है तथा अपने दायित्वों का निर्वहन उनके द्वारा प्रचलित नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाता है। इस हेतु सतर्कता विभाग में शासन स्तर पर पर्यवेक्षणीय स्तर भी निर्धारित किये गये है।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों	सतर्कता नियम संग्रह, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965, अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 1977, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
6	अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियो का विज्ञापन	सतर्कता जांचों से सम्बन्धित जांच आख्याओं एवं शासन स्तर पर पत्रावलियों में किये गये परीक्षण एवं निर्गत किये गये आदेशों से सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित किये जाते हैं ।
7	कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिए अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेंगे, का विवरण	विवरण शून्य है।
8	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से उसके भागरूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण, और उन बोर्डों,	(1) सतर्कता विभाग के अन्तर्गत राज्य सतर्कता आयोग गठित है, जिससे सम्बन्धित विवरण http://www. vigilance.up.nic.in पर उपलब्ध है । (2) लोक आयुक्त संगठन भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिससे सम्बन्धित विवरण वेब साइट www.lokayukta.up.nic.in पर उपलब्ध है । (3) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिससे सम्बन्धित विवरण वेब साइट http://www. vigilance.up.nic.in पर उपलब्ध है ।

	समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये हैं, या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुँच के अधीन होगें का विवरण					
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका	नाम	पदनाम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास)	आवासीय पता
		श्री सत्येन्द्र कुमार रघुवंशी	सचिव	2238181	9918165747	205, आर्चिड ब्लाक पार्क व्यू अपार्टमेन सीतापुर रोड, लखनऊ।
		श्री हृदय नारायण	विशेष सचिव	2238801	9454412814	एकतापुरम, त्रिवेणी नगर–।। लखनऊ
		श्री अजय कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी	2213070	7897770290	सी–1/82ए, सेक्टर जी, जानकीपुर लखनऊ।
		श्री एस0पी0 सिंह	उपसचिव	2213070	9454411518	न्यू 4/5 बादशाहनगर सचिवाल कालोनी, लखनऊ।
		श्री यतीन्द्र कुमार	अनुसचिव	2213071	9454413708	73/11 जी0एस0आई0 कालोनी सेक्टर–क्यू, अलीगंज लखनऊ।
		श्री जयमंगल प्रसाद वर्मा	सतर्कता अनुभाग–1	2213076	9454412949	डी–141/3 इनिदरा नगर लखनऊ।
		श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	सतर्कता अनुभाग–2	2213074	9454413990	म0नं0–80 विष्णुलोक कालोनी, कानपु रोड लखनऊ।
		श्री अजय कुमार सिंह	सतर्कता अनुभाग–3	2213075	9454411233	न्यू 2/7 बादशाहनगर सचिवाल कालोनी, लखनऊ।
		श्री संजीव श्रीवास्तव	सतर्कता अनुभाग–4	2213857	9454413167	551 का/321 पा/1सी, मधुवन नग आलमबाग लखनऊ।

Mis.Noting mk

		पदनाम	वेतन बैंड / वेतनमान		ग्रेड वेतन
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक, इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित है	प्रमुख सचिव	PB-IV	37400 – 67000	12000
		विशेष सचिव	PB-IV	37400 – 67000	10000
		संयुक्त सचिव	PB-IV	37400 – 67000	8700
		उप सचिव	PB-III	15600–39100	7600
		अनु सचिव	PB- III	15600 – 39100	6600
		अनुभाग अधिकारी	PB-III	15600 – 39100	5400
		समीक्षा अधिकारी	PB-II	9300 – 34800	4600
		सहायक समीक्षा अधिकारी	PB-II	9300–34800	4200
		कम्प्यूटर सहायक	PB-I	5200 – 20200	2400
		अनु सेवक	I एस	4440 – 7440	1300

11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानो का विवरण	
	सतर्कता विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन आहरण / वितरण	अनुदान सं0 78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2052 सचिवालय सामान्य सेवाऐं के अन्तर्गत किया जाता है।
	उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशानिक न्यायाधिकरण का बजट	अनु अनुदान सं0 82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 104 – सतर्कता– 03 सतर्कता आयोग एवं प्रशानिक न्यायाधिकरण
	उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का बजट	अनुदान सं0 82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 104 – सतर्कता– 04 सतर्कता निदेशालय
	उ0प्र0 लोक आयुक्त संगठन का बजट	अनुदान सं0 82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 05 लोक आयुक्त संगठन(भारित)

12	उपादान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे, का विवरण	विवरण शून्य है
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	विवरण शून्य है
14	अपने द्वारा प्रदत्त की गई सूचना या प्रदान न की गई सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गई सूचना का विवरण	सतर्कता विभाग की वेबसाईट http://www. vigilance.up.nic.in इन्टरनेट पर उपलब्ध है
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें, इसके अन्तर्गत	विवरण शून्य है।

	पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिए है, का विवरण					
16	जन सूचना अधिकारियो के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	अपीलीय / जनसूचना अधिकारी	कार्यालय का पता	एसटीडी	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास)
	श्री जयमंगल प्रसाद वर्मा, अनुभाग अधिकारी / जनसूचना अधिकारी, सतर्कता अनुभाग–1		कक्ष संख्या–21 बहुखण्डी भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।	0522	2213076	9454412949
	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी / जनसूचना अधिकारी, सतर्कता अनुभाग–2		कक्ष संख्या–21 बहुखण्डी भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।	0522	2213074	9454413990
	श्री अजय कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी / जनसूचना अधिकारी, सतर्कता अनुभाग–3		कक्ष संख्या–21 बहुखण्डी भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।	0522	2213075	9454411233
	श्री संजीव श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी / जनसूचना अधिकारी, सतर्कता अनुभाग–4		कक्ष संख्या–21 बहुखण्डी भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।	0522	2213857	9454413167
		श्री हृदय नारायण, अपीलीय अधिकारी, विशेष सचिव	कक्ष संख्या–53 बहुखण्डी भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ।	0522	2238801	9454412814

Mis.Noting mk